इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

़ (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक ४११]

भोपाल, बुधवार, दिनांक ७ अक्टूबर २०१५—आश्विन १५, शक १९३७

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2015

क्र. एफ. 1–25–2015-बीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा, शिक्षक-शिक्षा एवं प्रशिक्षण अकादिमक (राजपित्रत) सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-चार में, अनुक्रमांक-4 के सामने कॉलम (6) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

''(1) अध्यक्ष लोक सेवा आयोग अथवा उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य

अध्यक्ष

(2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग

सदस्य

(3) संचालक, मध्यप्रदेश राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

सदस्य-सचिव

(4) अतिरिक्त सचिव/उप सचिव, स्कूल शिक्षा

सदस्य.''.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2015

क्र. 1640-2015-बीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 1-25-2015-बीस-1, दिनांक 7 अक्टूबर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद सिंह, उपसचिव.

Bhopal, the 7th October 2015

F. 1-25-2015-XX-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes to following amendment in the Madhya Pradesh School Education Teacher Education and Training Academic (Gazetted) Service Recruitment and Condition of Service Rules, 2011, namely:—

AMENDMENT

In the said rules in Schedule-IV, against serial number 4, in column (6) for existing entries, the following entries shall be inserted namely:—

"(1) Chairman, Public Service Commission or the member nominated by him.

Chairman

(2) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary School Education Department.

Member

(3) Director, Madhya Pradesh State Council of Educational Research and Training.

Member-Secretary

(4) Additional Secretary/Deputy Secretary, School Education

Member.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, PRAMOD SINGH, Dy. Secy.